संख्या-1041/XXVIII-5-2009-42/2009

प्रेषक,

सुनीलश्री पांथरी
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग--5 देहरादूनः दिनांकः 03 सितम्बर, 2009

विषय-- वित्तीय वर्ष 2009-10 में अनुदान सं0-12 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य आयोजनेत्तर के अन्तर्गत राजकीय स्वायतता प्राप्त चिकित्सालयों को अनुदान के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-5प/1/25/2009-10/33749 दिनांक 31-08-2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय स्वायतता प्राप्त चिकित्सालयों को अनुदान के अन्तर्गत संलग्नक में अंकित विवरणानुसार रू0 583.33 लाख (रू0 पांच करोड़ तिरासी लाख तैतीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुये व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः--

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि तभी आहरित/व्यय की जाए जब उक्त संगत लेखाशीर्षकों में पूर्व अवमुक्त धनराशि का नियमानुसार पूर्ण उपभोग कर लिया गया हो ।
2. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृति दी जा रही है। धनराशि आवश्यकतानुसार किश्तों में अहरण की जायेगी तथा वर्तमान वित्तीय संसाधनों के सीमित आकार के आलोक में मितव्ययता का पूर्णतः ध्यान रखा जायेगा एवं अति आवश्यक कार्य/व्यय ही किया जायेगा।
3. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों मे बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हों, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
4. व्यय करने हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-पांच भाग-1 (लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) व वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 267/XXVII(1)/20 दिनांक 27 मार्च 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. यह उल्लेखनीय है कि व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
6. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-515/XXVII(1)/2009 दिनांक 28.07.2009 में निहित निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जायेगा।
7. उक्त के सापेक्ष होने वाला व्यय अनुदान सं0-12 के आयोजनेत्तर पक्ष में संलग्नक में अंकित लेखाशीर्षकों के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0-211(NP)/वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/2009 दिनांक 3.9.09 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोक्त

भवदीय,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव

संख्या-1041(1)/XXVIII-5-2008-42/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री ।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
9. गार्ड फाईल।

संलग्नकः यथोक्त

(सुनीलश्री पांथरी)

शासनादेश संख्या–1041 /XXVIII–5–2008–42/2009 दिनांक 03 सितम्बर, 2009 का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0 में

क्रम सं0	लेखाशीर्षक		बजट प्राविधान	लेखानुदान द्वारा अवमुक्त धनराशि	आवंटित धनराशि
1	2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–आयोजनेत्तर			
	01	शहरी स्वास्थ्य सेवायें–पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति			
	110	अस्पताल तथा औषधालय			
	15	राजकीय स्वायतता प्राप्त चिकित्सालयों को अनुदान			
	20	सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	1000.00	500.00	500.00
		योग	**1000.00**	**500.00**	500.00
2	2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–आयोजनेत्तर			
	03	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें–पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति			
	110	अस्पताल तथा औषधालय			
	15	राजकीय स्वायतता प्राप्त चिकित्सालयों को अनुदान			
	20	सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	250.00	166.67	83.33
		योग	**250.00**	**166.67**	**83.33**
		वृहद योग	**1250.00**	**666.67**	**583.33**

(रू0 पांच करोड़ तिरासी लाख तेतीस हजार मात्र)

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव